<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 07/15/2025- डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001

दिनांक: 23 सितंबर, 2025

जांच शुरुआत अधिसूचना

<u>मामला सं. एडी (एसएसआर) - 08/2025</u>

विषय: चीन जन. गण. से पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) रेज़िन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

फा.सं. 07/15/2025- डीजीटीआर: इंडोरामा यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड, आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिन्हें इसके बाद "आवेदक" के रुप में भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रुप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "पाटनरोधी नियमावली" के रुप में भी कहा गया है) के अनुसार, चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" के रुप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) रेज़िन (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" के रुप में भी कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रुप में भी कहा गया है) के समक्ष आवेदन दायर किया है।

अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाए गए पाटनरोधी शुल्क, जब तक कि उन्हें पहले ही वापस नहीं ले लिया जाता, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे और प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क को निरंतर लगाए जाने की

आवश्यकता की समीक्षा करनी होगी तथा यह आकलन करना होगा कि क्या शुल्कों के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. विगत जांचों की पृष्ठभूमि

1. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच दिनांक 1 अक्टूबर 2019 की अधिसूचना के तहत शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 28 दिसंबर 2020 के अंतिम जांच परिणाम फा. सं. 6/24/2019- डीजीटीआर के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर 5 वर्षों की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 की अधिसूचना सं. 18/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से ऐसे शुल्कों को अधिसूचित किया गया था। यदि उक्त शुल्कों का आगे विस्तार नहीं किया जाता है, तो वे दिनांक 26 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएंगे।

2. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद, वानकाई न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा निर्यात किए जाने पर संबद्ध देश के मूल की संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में दिनांक 4 मार्च 2024 को एक अवशोषण रोधी (एंटी एब्जॉर्प्शन) जांच शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 28 अगस्त 2024 को फा. सं. 7/27/2023- डीजीटीआर के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए, जिसमें लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन करने की सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 22 नवंबर 2024 की अधिसूचना सं. 25/2024- सीमा शुल्क (एडीडी) जारी की, जिसमें लागू पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में संशोधन किया गया था।

ख. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद वर्जिन बॉटल-ग्रेड पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) रेज़िन है, जिसे "पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट रेज़िन जिसकी आंतरिक विस्कोसिटी 0.72 डेसीलिटर प्रति ग्राम या उससे अधिक हो" के रूप में परिभाषित किया गया है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे में पुनर्चक्रित पीईटी रेज़िन शामिल नहीं है। पीईटी रेज़िन का उपयोग प्रीफॉर्म के निर्माण के लिए किया जाता है, जिन्हें उसके बाद में मिनरल वाटर, कार्बोनेटेड शीतल पेय, खाद्य तेल, फार्मास्यूटिकल उत्पादों आदि को स्टोर करने के लिए पीईटी बोतलों और जार में परिवर्तित किया जाता है।

4. वर्तमान जांच चूंकि एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अत: विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो पहले की गई जांचों में परिभाषित किया गया था।

5. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची 1 के अध्याय 39 के अंतर्गत शीर्ष 3907 के तहत वर्गीकृत किया गया है। संबद्ध वस्तुओं का आयात एचएस कोड 3709 6110, 3907 6190, 3907 6930, और 3907 6990 के अंतर्गत किया जा रहा है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग. समान वस्तु

6. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं तकनीकी विशिष्टताओं, भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, कीमत के निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं के समान विशेषताएं रखती हैं। ये दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से प्रतिस्थापन योग्य हैं। अत: वर्तमान जांच शुरुआत के प्रयोजन के लिए, आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

7. यह आवेदन इंडोरामा यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड, आईवीएल धुनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

8. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं है।

9. आईवीएल पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और इंडोरामा यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड, चीन में विचाराधीन उत्पाद के एक उत्पादक, अर्थात् गुआनडोंग आईवीएल पीईटी पॉलीमर कंपनी लिमिटेड से संबंधित हैं। तथापि, आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि आईवीएल पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और इंडोरामा यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड के संबद्ध उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।

10. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और वे भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक से संबद्ध नहीं हैं।

11. आवेदकों ने यह भी अनुरोध किया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक अर्थात् चिरिपाल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, जिंदल पॉलीफिल्म्स लिमिटेड, मैडलिन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ("एमईपीएल"), सुमिलन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और यूफ्लेक्स लिमिटेड भी हैं।

12. आवेदक के पास भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 85% हिस्सा है। इसके आधार पर, प्राधिकारी *प्रथम दृष्टया* यह नोट करते हैं कि आवेदक के पास भारत में कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है और नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मानदंडों को पूरा करता है।

ङ. संबद्ध देश

13. यह आवेदन चीन जन. गण. से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के संबंध में दायर किया गया है।

च. जांच की अवधि

14. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि दिनांक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की है। क्षति जांच की अवधि में दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि शामिल होगी।

छ. पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

i. <u>सामान्य मूल्य</u>

15. आवेदकों ने यह दावा किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था के रुप में माना जाना चाहिए और इसलिए, चीन के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, उनके सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। पैरा 7 के अंतर्गत, किसी गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में

संबद्ध वस्तुओं की कीमतों के आधार पर अथवा ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को दी जाने वाली कीमतों के आधार पर अथवा भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर किया जाना आवश्यक है।

16. जांच शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, सामान्य मूल्य का निर्धारण बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों को उचित लाभ के साथ विधिवत रुप से समायोजित किए जाने के पश्चात, संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया है।

ii. <u>निर्यात कीमत</u>

17. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का निर्धारण, डीजी सिस्टम डेटा में दर्शाई गई संबद्ध वस्तुओं की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय, अंतर्देशीय माल भाड़ा, द्वितीयक पैकेजिंग लागत, ऋण लागत और वस्तुसूची वहन लागत के आधार पर मूल्य के समायोजन किए गए हैं ताकि कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित की जा सके।

iii. <u>पाटन मार्जिन</u>

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्टया* यह स्थापित होता है कि संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम के स्तर से ऊपर है। इस प्रकार, *प्रथम दृष्टया* इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देश से भारत में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

ज. क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और कारणात्मक संबंध

19. वर्तमान जांच चूंकि एक निर्णायक समीक्षा है, अत: प्राधिकारी को यह जांच करनी होगी कि क्या लागू शुल्क के समाप्त होने अथवा निरस्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना होगी।

20. आवेदकों ने यह दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी भारत में पाटन जारी रहा है। घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है। क्षति अवधि के दौरान भारत में आयातों में वृद्धि हुई है, संबद्ध देश

के उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं और वे अपनी क्षमताओं का आगे और विस्तार कर रहे हैं, संबद्ध देश के उत्पादक निर्यातोन्मुखी हैं, भारत एक कीमत आकर्षक बाजार है और संबद्ध देश से तीसरे देशों को महत्वपूर्ण निर्यात पाटित और क्षतिकारी कीमतों पर होता है। आयात भारत में बिक्री लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमतों पर हुए हैं।

21. यह भी दावा किया गया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए वैश्विक स्तर पर अत्यधिक क्षमता मौजूद है और विभिन्न देशों द्वारा व्यापार सुधार के उपाय लागू किए जाने के कारण चीन के उत्पादकों ने अपना बाज़ार खो दिया है। आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, पाटित आयातों से कीमत दबाव उत्पन्न होने की संभावना है, जिसका प्रभाव घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर पड़ेगा।

22. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की संभावना के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

झ. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

23. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित किए गए आवेदन के आधार पर और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्यों के आधार पर, जो कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने के कारण घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरुप क्षति होने की संभावना को प्रमाणित करते हैं, स्वयं को संतुष्ट करते हुए तथा अधिनियम की धारा 9क(5) के साथ पठित नियम 23(1ख) के अनुसार, प्राधिकारी एतदद्वारा वर्तमान अंतिम समीक्षा की शुरुआत करते हैं ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति होने से पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को उसके परिणामस्वरुप क्षति होने की संभावना है।

ञ. प्रक्रिया

24. इस निर्णायक समीक्षा में दिनांक 28 दिसंबर 2020 की अधिसूचना फा. सं. 6/24/2019- डीजीटीआर के माध्यम से प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों और दिनांक 28 अगस्त 2024 की अधिसूचना फा. सं. 7/27/2023- डीजीटीआर द्वारा प्रकाशित अंतिम जांच परिणामों के सभी पहलु शामिल होंगे, जिसमें संबद्ध देश के मूल की अथवा

वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की गई है।

25. नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

ट. सूचना की प्रस्तुती

26. सभी पत्राचार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पते dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्च योग्य पीडीएफ/ एमएस वर्ड फार्मेट में हो और डेटा फ़ाइलें एम एस एक्सेल फार्मेट में हों। फ़ाइलों तक पहुंच के लिए विशेष सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता वाले अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

27. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों और भारत में संबद्ध वस्तुओं से संबंधित ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप और तरीके से सभी संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें।

28. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर निर्धारित फार्मेट और तरीके से जांच से संबंधित अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।.

ठ. समय सीमा

29. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना, निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित ईमेल पतों dd15-dgtr@gov.in, dir16-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in पर, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, ईमेल द्वारा भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेज़ों के लिए अनुरोध करने संबंधी सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने अथवा निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा

प्राप्त हुई सूचना अधूरी पाई जाती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

30. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस इस मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और उपरोक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के लिए उत्तर दाखिल करें।

31. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण दर्शाने होगे और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर प्राप्त होना चाहिए।

ड गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुती

32. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले किसी भी पक्षकार को पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार, उसका एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

33. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई भी अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग प्रस्तुत करने होंगे। यदि अनुरोध को कई भागों में किया जाता है तो प्रत्येक भाग में एक अनुक्रमणिका तालिका प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है जिसमें संलग्न सभी भागों/ ईमेल और दस्तावेजों की सामग्री का उल्लेख हो। सभी अनुरोधों पर पृष्ठ क्रमांकन सुनिश्चित किया जाए।

34. जहां मूल दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, वहां हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मूल दस्तावेजों के साथ उनका सही से अनुदित पाठ भी उपलब्ध कराया जाए।

35. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोधों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन किए बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

36. अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति होनी चाहिए जिसके साथ गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित किया जाए या खाली छोड़ा जाए (यदि अनुक्रमण करना संभव न हो) और उस सूचना के आधार पर संक्षेपित किया जाए जिस पर कि गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सार में पर्याप्त विवरण होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार को उचित रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए उसे सारांश करना संभव न होने के कारणों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकार, दस्तावेज़ों का अगोपनीय पाठ प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

37. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच के आधार पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा उसे सामान्यीकृत या संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

38. गोपनीयता के दावे पर सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा उचित कारण के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकरी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

39. हितबद्ध पक्षकार, इस जांच शुरुआत अधिसूचना के संगत पैरा के अनुसार, दस्तावेज़ों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

40. प्राधिकारी प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने तथा उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

41. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और उसमें उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोध का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें। प्रश्नावली के उत्तर या अन्य अनुरोधों का अगोपनीय पाठ अधिमानतः उसी दिन सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को

प्रसारित किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में गोपनीय आधार पर प्रस्तुतीकरण दाखिल किए जाने के अगले दिन से बाद में नहीं होना चाहिए। अनुरोधों/ उत्तरों/ सूचना के अगोपनीय पाठ को प्रसारित न किए जाने पर हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है।

ण. असहयोग

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार समुचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है और अन्यथा प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज़ कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसी उपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं, जो वे उचित समझें।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी